49

सत्यापित

निगरानी- 5559/2018/सतना/भू.रा.

जागेन्द्र शुक्ला तनय श्री सियाशरण शुक्ला उम्र–50साल निवासी खम्हा पो.रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र............... **निगराकार**

बनाम

मनीष शुक्ला तनय स्व.श्री राम शिरोमणि शुक्ला उम्र–36वर्ष निवासी ग्राम खाम्हा पो.रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र................. **गैरनिगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा. संहिता ।

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी तहसील राघुराजनगर के राजस्व प्रकरण कं. 27ए12/17–18 मनीष तनय रामशिरोमणि शुक्ला साकिन रामपुर चौरासी आवेदक बनाम शासन म.प्र. अनावेदक आदेश दिनांक 30.04.2018

श्री एस0 के0 अवस्थी द्वारा आज दि० 11-9-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-9-18 नियत।
कलर्क ऑफ कोर्ट 11-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

उपरोक्त प्रसंग में आवेदक/निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः–

....2

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–5559 / 2018 / सतना / भू.रा.

जागेन्द्र शुक्ला विरूद्ध मनीष शुक्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 27 / अ–12 / 2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–04–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 5/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	